N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0230 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 07/09/2025 20:29 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61(2) |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 13/08/2025 Date To (दिनांक तक): 04/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 15:00 बजे Time To (समय तक): 15:02 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 07/09/2025 Time (समय): 20:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 07/09/2025 20:29:38 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 85 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): KAMARA NO.307,MINI SACHIWALAYA, JHALAWAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य) ):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
(a) **Name(नाम):** CHETAN MEROTHA
(b) **Father's Name (पिता का नाम):** CHAUTHMAL MEROTHA
(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
(e) **UID No(यूआईडी सं.):**
(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|

(h) **Occupation (व्यवसाय):**
(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | GRAM JOLPA, KHANPUR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | GRAM JOLPA, KHANPUR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARIOM RAWAT | | पिता:DEEPCHAND RAWAT | 1. C-43,RAJLAKSHMI NAGAR,JHALAWAR,RAJASTHA |
| 2 | SATYANARAYAN NAVARIYA | | पिता:SUKHPAL | 1. DEVARA JI KA MAKAN,MANORAMA VILA,,GODAM KI TALAI,JHALAWAR,JHALAWAR, |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 10,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 10,000.00
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, हालात इस प्रकार है कि दिनांक 13.08.2025 समय 03.00 पी.एम पर परिवादी श्री चेतन मेरोठा पुत्र श्री चौथमल मैरोठा जाति धोबी उम्र 27 साल निवासी ग्राम जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड उपस्थित आया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आषय का पेश किया कि "मैं ग्राम जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड का रहने वाला हूँ, मेरी गाडी मारूती सियाज, कार्यालय महिला बाल विकास झालावाड में सहायक निदेशक के पास फरवरी माह से मई तक लगी हुई थी जिसका मई माह का भुगतान बाकी था जिसके भुगतान के लिए मैं कार्यालय महिला विकास झालावाड गया जहा पर मैंने मेरे मई माह के बिल भुगतान के लिए सत्यनारायण नावरिया डिप्टी डायरेक्टर से कहा तो उन्होने मुझसे मई माह के भुगतान के लिए 10,000 रूपये रिश्वत के रूप मे मांगे मेरे द्वारा रिश्वत राशि नही देने के कारण उन्होने दो माह तक मेरा बिल नही बनाया मैं ऑफिस के चक्कर लगाता रहा फिर मेरी दादी का देहान्त हो जाने पर मुझे रूपयो की आवश्यकता होने के कारण मैं सत्यनारायण नावरिया जी से फिर मिला व हाथ जोडकर निवेदन किया तो सत्यनारायण जी ने अपने पास लगे बाबू हरिओम को मेरे पास भेजा तो हरिओम ने बताया कि साहब ने कहा है कि अभी नगद पैसे दे जाओ, पैसे तो पहले देने पडेंगे। मेरे पास पैसे नही होने के कारण मैने चेक देने की बात कही तो हरिओम ने कहा कि मैं तुम्हारा बिल साहब से रिकवेस्ट करके पास करा रहा हुं लेकिन आपको आपके खाते मे पैसे आते ही पैसे निकलवाकर साहब को पैसे देने पडेंगे। मेरा बिल दिनांक 23.07.2025 को पास कर दिया गया था। परन्तु मैं दो से तीन बार कार्यालय महिला बाल विकास झालावाड गया तो हरिओम बाबू द्वारा मेरे से बिल वाले पैसे साहब को देने के लिए बार-बार रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं सत्यनारायण नावरिया जी को मेरे वाजिब काम के लिए रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। उन्हे रिश्वत देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं, मेरा इन दोनो से कोई उधारी या लेन देन नही है ना ही कोई लडाई झगडा है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करवाने की कृपा करे। सत्यनारायण नावरिया ने धमकी दी है कि अगर पैसे नही देगा तो तेरी गाडी इस विभाग मे नही लगने दुंगा।" इस पर उप अधीक्षक श्री ताराचन्द को अपने कक्ष मे बुलाकर उपस्थित परिवादी से आपसी परिचय करवाया श्री चेतन मेरोठा द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्री ताराचन्द उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। फिर समय 04.00 पी.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री ताराचन्द उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी श्री चेतन मेरोठा को साथ लेकर अपने कक्ष मे लाये तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिष्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय में कार्यरत श्री अभिषेक चौधरी कानि नं. 197 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री चेतन मेरोठा से आपसी परिचय करवाया गया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर श्री चेतन मेरोठा को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई गई। परिवादी ने बताया की आज मेरी आरोपी सत्यनारायण नावरिया से मांग सत्यापन वार्ता नही हो पाएगी, अतः आप कल सुबह जल्दी ही इनको रिकॉर्डर देकर झालावाड भेज देना, मैं इनको झालावाड ही मिल जाऊंगा। इस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पुनः मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी के बताये अनुसार मांग सत्यापन वार्ता आज सम्भव नही है। इस लिये समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी को मुनासिब हिदायद कर उसके गन्तव्य की ओर सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 14.08.2025 समय 10.00 ए.एम. पर श्री अभिषेक कानि 197 को कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया और हिदायत दी गई कि परिवादी से सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार झालावाड जाकर गोपनीय स्थान पर परिवादी से मिलें। परिवादी को डीवीआर चालू व बंद करने की विधि समझाकर आरोपी से मांग सत्यापन वार्ता करने के लिए भेजे और गोपनीय रूप से मांग सत्यापन वार्ता की निगरानी करने की हिदायतकर श्री अभिषेक कानि 197 को मय डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड के झालावाड रवाना किया गया। फर्द सुपूर्दगी डिजीटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.30 पी.एम. पर श्री अभिषेक कानि 197 मय डिविआर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री ताराचन्द उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं मय डिवीआर मय मैमोरी कार्ड के एसीबी कार्यालय कोटा में रवाना होकर झालावाड पहुंचा, परिवादी से संपर्क कर मिनी सचिवालय झालावाड पहुचां, जहां पर परिवादी श्री चेतन मेरोठा उपस्थित मिला जिसे डिवीआर चालू व बन्द करने की

विधी समझाई जाकर सुपूर्द कर आरोपी सत्यनारायण नावरिया से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु आरोपी के कार्यालय में रवाना किया गया। कुछ देर बाद परिवादी मय डिवीआर मय मैमोरी कार्ड बंद हालत में मेरे पास आया और बताया कि सत्यनारायण नावरिया जी के कार्यालय में उनके पास कार्यालय का स्टाफ बैठा हुआ था। मैने उनसे मिलने के लिए कुछ समय इन्तजार किया लेकिन मिलना नही हुआ। इस पर परिवादी को पुनः आरोपी सत्यनारायण नावरिया के कार्यालय मे भेजा और साथ ही हिदायत दी गई कि आरोपी सत्यनारायण नावरिया से मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु उसके कार्यालय के बाहर ही इन्तजार करें। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री चेतन मेरोठा मेरे पास आया और डिवीआर मय मैमोरी कार्ड मुझको पेश किया, मैने डिवीआर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मेरी सत्यनारायण नावरिया से मांग सत्यापन वार्ता हो गई जो डिवीआर में रखे मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड हो गई है। आरोपी सत्यनारायण नावरिया ने मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करने सम्बन्धी निवेदन करने पर हरिओम बाबू जी को बुलाने की कहा। मैं हरिओम को बुलाने गया लेकिन हरिओम जी नही मिले लंच पर जाना बताया। मै पुनः सत्यनारायण जी के पास गया और हरिओम के लंच पर जाने के बारे मे बताया तो उन्होने कहा चल अभी थोडा आने दो उसको फिर मैं बात करता हुं ठीक है।" परिवादी ने बताया कि अब मेरी उनमे लंच बाद ही बात हो पाएगी। इस पर परिवादी को मय डिवीआर मय मैमोरी कार्ड मांग सत्यापन वार्ता हेतु आरोपीगण के कार्यालय में रवाना किया गया। मैं कार्यालय के आसपास निगरानी में मुकिम रहा। कुछ देर बाद परिवादी मय डिवीआर मय मैमोरी कार्ड के मेरे पास आया, डिवीआर मय मैमोरी कार्ड मुझको पेश किया ,मैने डिवीआर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा और परिवादी ने बताया कि मै आरोपीगण के कार्यालय मे गया तो वहां हरिओम बाबुजी मे मिला तो मैने हरिओम बाबूजी से कहा कि आपको सत्यनारायण नावरिया जी ने मेरे मामले मे बुलाया था, तब आप खाना खाने निकल गये थे। हरिओम जी ने मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर कहा कि देखो पांच-छः, छः दे दो फ्री कर दो। दे दुवाके फ्री कर दो। इस पर मैने डिवीआर मय मैमोरी कार्ड को चालू कर सुना तो परिवादी के कथनो की पुष्टि हुई। श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी को मौके से ही रूखसत कर डिवीआर मय मैमोरी कार्ड के रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आया हूं" श्री अभिषेक कानि 197 द्वारा बंदशुदा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के श्री ताराचन्द उप अधीक्षक पुलिस को सुपूर्द किया, डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो श्री अभिषेक कानि 197 के कथनों की ताईद हुई। फर्द प्रामि डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से मूर्तिब की गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को तलब कर पृथक सें बनाई जावेगी। दिनांक 15.08.2025 समय 09.00 ए.एम. पर श्री ताराचन्द उप अधीक्षक पुलिस के अन्य गोपनीय राजकार्य में व्यस्त होने के कारण श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु पत्रावली मन् पुलिस उप अधीक्षक अनिष अहमद को सुपूर्द करने निर्देश दिये है। इस पर श्री ताराचन्द उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पत्रावली मय डिवीआर मय मैमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक अनिष अहमद एसीबी चौकी कोटा को सुपूर्द किया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिवीआर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो वार्ता में आरोपीगण द्वारा किस कार्य की एवज में रिश्वत राशि की मांग की जा रही है, स्पष्ट नही है। अतः हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये गये इस पर श्रीमान ने पुनः सत्यापन करवाये जाने के निर्देश फरमाये है, अतः परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का पुनः सत्यापन करवाया जावेगा। दिनांक 18.08.2025 समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी से टेलिफोनिक वार्ता अनुसार कल ही शेष सत्यापन होकर ट्रेप कार्यवाही होना संभावित है, अतः ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान को पाबन्द करने हेतु एक तहरीर कार्यालय पत्रांक 1449 दिनांक 18.08.2025 श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सिलींग) कोटा के नाम जारी कर श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 को रवाना किया, जिस पर दो कार्मिक श्री रूपेश कुमार मीना हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय, विकास अनुभाग कलेक्ट्रेट, कोटा एवं श्री महावीर प्रसाद सोनी हाल सहायक प्रशामनिक अधिकारी, कार्यालय, विकास अनुभाग कलेक्ट्रट कोटा को दिनांक 19.08.2025 को सुबह 10.00 एएम पर एसीबी कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द करके आया। दिनांक 19.08.2025 समय 07.00 ए.एम. पर श्री अभिषेक कानि 197 व श्री मनोज कुमार कानि 211 को मय डिवीआर मय मैमोरी कार्ड के झालावाड जाकर परिवादी से संपर्क कर परिवादी को डिवीआर को चालू व बंद करने की विधी समझाकर आरोपीगण से पेण्डिग कार्य से संबंधित मांग सत्यापन वार्ता हेतु प्राइवेट वाहन से झालावाड रवाना किया गया। फर्द सुपूर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से मूर्तिब की गई। समय 10.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश कुमार मीना पुत्र श्री बाबुलाल मीना जाति मीना उम्र 30 साल निवासी मकान न0 248 कैलाशपुरी कोटा जक्शन कोटा हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय विकास अनुभाग कलेक्ट्रेट कोटा, श्री महावीर प्रसाद सोनी पुत्र श्री देवी प्रसाद सोनी जाति सोनी उम्र 47 साल निवासी मकान न0 926 बसन्त बिहार दादाबाडी कोटा हाल सहायक प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय विकास अनुभाग कलेक्ट्रट कोटा, कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 11.22 ए.एम. पर श्री अभिषेक कानि 197 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को जर्ये मोबाईल कॉल कर बताया कि मैं एवं श्री मनोज कानि. 211 कार्यालय से रवाना हो मिनिसचिवालय के पास पंहुचे, जहां परिवादी श्री चेतन मेरोठा उपस्थित मिला, जिसे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर रिश्वत मांग का पुनः सत्यापन हेतु आरोपीगण के पास भेजा, थोडी देर बाद परिवादी हमारे पास आया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द हालात में पेश कर बताया कि रवाना हो कर आरोपी हरिओम रावत के पास पंहुचा जिससे

मेरे कार्य से संबंधित वार्ता हो गई है। आरोपी हरिओम ने परिवादी को आज ही रिश्वत राशि 5-6 हजार रूपये श्री सत्यनारायण नावरिया डिप्टी डायरेक्टर को देने की कहा है, जिसकी पुष्टि मैने व श्री मनोज कुमार कानि 211 ने डिवीआर में रिकोर्डेड वार्ता को सुनकर की है। " श्री अभिषेक चौधरी के बताये अनुसार ट्रेप कार्यवाही आज ही होनी है। अतः श्री मनोज कानि 211 व अभिषेक कानि 197 को गोपनीय रूप से झालावाड में ही मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाब्ता के इन्तजार में मुकिम रहने की हिदायद दी गई। तत्तपष्चात् समय 01.15 पी.एम. पर श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से मालखाने से फिनोल्फथिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर सरकारी बोलेरो वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.एल. 5815 के डेस्क बोर्ड में रखवाकर मन् अनिष अहमद पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री आशिक हुसैन सउनि, श्री नरेन्द्र सिहं हैड कानि 140, श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 मय चालक तवंर सिह के मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के झालावाड के लिए रवाना हुआ तथा श्री योगेश गोचर कानि 291 को मय श्री रवि यादव कानि 285 व दोनो स्वतंत्र गवाहान मय चालक श्री महेन्द्र सिंह कानि 507 के सरकारी वाहन जीप मे मन् पुलिस उप अधीक्षक के पीछे-पीछे आने के निर्देश दिये गये। रवाना हो समय 03.15 पी.एम. पर मन् अनिष अहमद पुलिस उप अधीक्षक मय हमराह जाप्ता, सरकारी वाहन बोलेरो, जीप मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स से पृथक-पृथक आकाशवाणी केन्द्र, झालारापाटन रोड, झालावाड पहुचे, जहां पर श्री अभिषेक कानि 197 व श्री मनोज कुमार कानि 211 के उपस्थित मिला, श्री अभिषेक कानि. ने उसके पास खडे हुये व्यक्ति से परिवादी श्री चेतन मेरोठा के रूप में परिचय करवाया मन् पुलिस उप अधीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं जाब्ते को होने वाली कार्यवाही से अवगत कराया तथा स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में सम्मिलित होने की मौखिक सहमती चाही गई, जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने सहमति प्रकट की। दोनों स्वतंत्र गवाहान मे परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री अभिषेक कानि. 197 द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को अपने पास से निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपूर्द कर पेण्डिग कार्य से संबंधित रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता के हालात पुनः निवेदन किये जिसकी पुष्टि परिवादी से पुछताछ कर व डिवीआर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्डेड वार्ता को सुनकर की गई। फिर समय 03.40 पी.एम. पर दोनों गवाहान के समक्ष, परिवादी श्री चेतन मेरोठा पुत्र श्री चौथमल मेरोठा जाति धोबी उम्र 27 साल निवासी-ग्राम जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड ने श्री सत्यनारायण नावरिया डिप्टी डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग झालावाड को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैं- क्र. सं. नोटों का विवरण नोटों के नम्बर 1 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 GN 575614 2 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 FN 886568 3 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 AB 174562 4 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 DM 947922 5 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 DN 741336 6 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 CH 703715 7 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 PU 229434 8 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 EQ 587964 9 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 RN 247191 10 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 DM 612826 श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 से सरकारी वाहन बोलेरो के डेसबोर्ड से फिनोल्फथिलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोल्फथिलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री चेतन मेरोठा की तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री रूपेष कुमार मीना से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रो एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिष्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये, उक्त भारतीय मुद्रा के पांच- पांच सौ रूपये के दस नोट कुल 5,000 रूपये को परिवादी के पहनी हुई पेंट के पीछे की दायीं जेब मे श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से सीधे ही रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में गाडी में रखी पीने के पानी की बोतल से साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राषि/नोटों पर फिनोल्फथिलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 के हाथों एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावष्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिष्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री चेतन मेरोठा को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं

आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 को मय फिनोल्फथिलीन पाउडर की शीशी के कार्यालय हाजा के लिए रूखसत किया गया। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान व साथ लाये वाहनो के रवाना हो समय 04.12 पी.एम पर मिनी सचिवालय झालावाड पंहुचा, जंहा पर परिवादी श्री चेतन मेरोठा से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालु करवाकर आरोपीगण को रिश्वत देने हेतु एवं रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात् निर्धारित इशारा करने की हिदायत कर मिनी सचिवालय के सेकेण्ड फ्लोर पर स्थित आरोपीगण के कार्यालय, महिला बाल विकास विभाग, झालावाड की ओर रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान आरोपीगण के कार्यालय, महिला बाल विकास विभाग, झालावाड के आस-पास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के इषारे में मुकिम हुये। इसके बाद समय 05.35 पी.एम. पर परिवादी श्री चेतन मेरोठा मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास बिना कोई इशारा किये आया ओर बन्दशुदा डिवीआर मय मैमोरी कार्ड पेष कर बताया कि "मै महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय में श्री सत्यानारायण नावरिया जी को रिश्वत राशि देने गया था लेकिन वो अपने कार्यालय में किसी मिटींग में व्यस्त थे। इसलिए मै लगभग तीन-चार बार डिवीआर चालू व बन्द कर उनके कार्यालय में गया था, परन्तु श्री सत्यनारायण नावरिया जी मिटींग से संबंधित कार्य में अन्य कार्मिको के साथ व्यस्त थे, जिसके कारण मै काफी देर तक उनसे नही मिल पाया। समय 5.22 पीएम पर श्री सत्यनारायण नावरिया को चेम्बर में अकेला देखकर डिवीआर चालूकर रिष्वत लेनदेन हेतु गया, श्री सत्यनारायण जी से मैने कहा सर पेमेन्ट तो उन्होने कहा हो गया काम तो मैने कहा जी सर हरिओम जी को दे दूं। तो उन्होने आश्चर्य जनक तरिके से "हुं" बोलते हुए मुझे बाहर जाने का इषारा किया, फिर मैने कहा किनको देना है हरिओम जी को तो उन्होने कहा "हा ठीक है कोई दिक्कत नही है, हो गया काम" और इषारे में मुझे जाने के लिए कहा तो, मैं रवाना होकर हरिओम के पास गया मगर कार्यालय समय समाप्त हो जाने के कारण वो उसके कक्ष में नही मिला, वहां से रवाना होकर आपके पास आ गया। हमारे बीच जो भी बातचीत हुई है, वह आपके कार्यालय के इस रिकोर्डर में रिकोर्ड है।" मन् उप अधीक्षक ने डिवीआर को चालूकर उसमे रिकोर्डेड वार्ता को सुना तो परिवादी के कथन की पुष्टि हुई है, परिवादी ने कहा कि आज हरिओम अपने कक्ष में नहीं हैं तथा आईन्दा जब भी मैं हरिओम सें मिलुंगा आपको पूर्व सें सुचित कर दूंगा तब आप मय टीम के आ जाना। फिर समय 06.30 पी.एम. पर चूंकि कार्यालय समय भी समाप्त हो चुका है एवं आरोपीगण कार्यालय से जा चुके है अब रिश्वत लेन देन की कोई सम्भावना नही हैं तथा परिवादी ने कहा हैं कि आईन्दा मैं आपको सूचित करूं जब आप आ जाना, अतः आईन्दा कार्यवाही परिवादी के कहेनुसार की जानी हैं, अतः स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश कुमार मीना से परिवादी की पेन्ट की पीछे की दायी जेब से रिश्वत राशि 5,000 रूपये निकलवाये जाकर सफेद रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर गवाह श्री रूपेश कुमार मीना के पास सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी श्री चेतन मेरोठा को हिदायद दी गई की उक्त प्रकरण में कोई भी प्रक्रिया हो मन् पुलिस उप अधीक्षक को तुरन्त सुचित करें। गोपनीयता की हिदायद कर परिवादी को मौके से रूखसत कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराही जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान्, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड, रिश्वत राशि 5000रूपये मय लिफाफा एवं अन्य सामग्री के सरकारी वाहन बोलेरो, जीप एवं प्राईवेट वाहन से एसीबी चौकी कोटा के लिये रवाना हुआ। जो समय 09.30 पी.एम. पर मय हमराहीयान मय साथ लाये वाहनो के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश कुमार मीना से रिश्वत राशि का सफेद लिफाफा मालखाना प्रभारी श्री आषिक हुसैन सउनि को सुपूर्द कर सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। डिवीआर मय मैमोरी कार्ड व अन्य सामग्री कार्यालय में सुरक्षित रखवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायद देकर कार्यालय से सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 29.08.2025 समय 02.21 पी.एम. पर परिवादी चेतन मेरोठा का श्री अभिषेक कानि के मोबाईल पर फोन आया कि मैं अपने पारिवारिक कार्यो में व्यस्त होने के कारण मैं मिनी सचिवालय झालावाड नहीं जा पाया था मेरे पास हरिओम ने मैसेज करवाया हैं कि चेतन हमको चक्कर दे रहा हैं, उसके कहने पर मैने साहब से निवेदन करके उसके बिल पास करवा दिये तथा बिल पास करवाने की एवज में उसके द्वारा तय राशि अभी तक भी नहीं दी हैं, अगर वो 10,000 रू. लेकर नहीं आयेगा तो उसके हमारे विभाग से पास हुये बिलो की रिकवरी निकाल देंगे तथा आईन्दा उसकी गाडी इस विभाग में कभी भी नहीं लगायेंगे। अतः अब सत्यनारायण नावरिया द्वारा मेरी गाडी के पास किये गये बिलों की एवज में मुझसे 10,000 रू. ही लेगा नहीं तो वो रिकवरी निकलवा देगा, अतः अब उसको 10,000 रू. ही देने पडेंगे, मैं 5000 रू. की ओर व्यवस्था करके जिस दिन आपको कहूं आप एसीबी टीम लेकर आ जाना। दिनांक 03.09.2025 समय 11.50 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी चेतन मेरोठा को कॉल किया तो परिवादी ने कहा कि मैंने सत्यनारायण नावरिया एवं हरिओम को देने वाली रकम 5000 रू. की ओर व्यवस्था कर ली हैं आप मेरे द्वारा पूर्व में दी हुई राशि 5000 रू. व टीम को लेकर कल सुबह आ जाओ। इस पर परिवादी को कल दिनांक 04.09.2025 को प्रातः झालावाड मिलने के लिए कहा तथा दिनांक 04.09.2025 को प्रातः 8.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रूपेश मीना एंव श्री महावीर सोनी व जाब्ते को पाबन्द किया गया। दिनांक 04.09.2025 समय 08.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री रूपेश कुमार मीना हाल वरिष्ठ सहायक, एवं श्री महावीर प्रसाद सोनी हाल सहायक प्रषासनिक अधिकारी, कार्यालय, विकास अनुभाग कलेक्ट्रट

कोटा, कार्यालय हाजा उपस्थित आये। फिर समय 08.30 ए.एम. पर श्री आशिक हुसैन सउनि मालखाना इन्चार्ज मे मालखाने मे सफेद लिफाफे में सुरक्षित रखी 5,000 रूपये रिष्वत राषि को निकालकर स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश कुमार मीना को सुपूर्द करवाई गई तथा श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से मालखाने से फिनोल्फथिलीन पाउडर की षिषी निकलवाई जाकर सरकारी बोलेरो वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.एल. 5815 के डेस्क बोर्ड में रखवाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक अनिष अहमद मय जाप्ता, श्री देषराज पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिहं हैड कानि 140, श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 मय सरकारी बोलेरो वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.एल. 5815 मय कानि चालक श्री तंवर सिहं 506 मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड, लेन-देन प्रयास वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के झालावाड के लिए रवाना हुआ तथा श्री आशिक हुसैन सउनि श्री योगेश गोचर कानि 291, श्री रवि यादव कानि 285, श्री अभिषेक चौधरी कानि 197 व दोनो स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन के मन् पुलिस उप अधीक्षक के पीछे-पीछे झालावाड आने के निर्देश दिये गये। रवाना हो समय 11.20 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक अनिष अहमद मय हमराह जाप्ता, दोनो स्वतंत्र गवाहान् के उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड, लेन-देन प्रयास वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से पृथक-पृथक आकाषवाणी केन्द्र झालारापाटन रोड, झालावाड पहुंचे, जहां परिवादी श्री चेतन मेरोठा, उपस्थित मिला, समय 11.30 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री चेतन मेरोठा पुत्र श्री चौथमल मेरोठा जाति धोबी उम्र 27 साल निवासी ग्राम जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड ने श्री सत्यनारायण नावरिया डिप्टी डायरेक्टर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैं- क्र. सं. नोटों का विवरण नोटों के नम्बर 1 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 GQ 184637 2 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1 BC 187578 3 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 CG 400391 4 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 HV 059185 5 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1 NQ 382918 6 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 MP 932251 7 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5 EA 936495 8 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 QU 559472 9 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 LB 822843 10 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 BT855652 श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 मे सरकारी वाहन बोलेरो के डेसबोर्ड से फिनोल्फथिलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोल्फथिलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री चेतन मेरोठा की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रूपेष कुमार मीना से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। प्रकरण में पूर्व में दिनांक 19.08.2025 को परिवादी श्री चेतन मेरोठा द्वारा श्री सत्यनारायण नावरिया डिप्टी डायरेक्टर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000 रूपये दिये गये थे, जिन पर पूर्व में फिनोल्फथिलीन पॉउडर लगवाया गया था, किन्तु उस दिन आरोपी हरिओम अपने कक्ष में उपस्थित नहीं होने के कारण, परिवादी से उपरोक्त राषि प्राप्त कर कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाये गये थे तथा वर्तमान में आरोपीगणों द्वारा परिवादी को सूचित कर 10,000 रू. लेकर आने की कहने से परिवादी द्वारा पेष किये गये 5,000 रूपये के साथ पूर्व के 5,000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश मीना के पास रखे हुये लिफाफे सें निकलवाकर कर, उपरोक्त दोनों पांच- पांच सौ रूपये के कुल 20 नोट, 10,000 रूपये को परिवादी के पहनी हुई पेंट के पीछे की दायी जेब मे सीधे ही रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में गाडी में रखी पीने के पानी की बोटल से साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिष्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोल्फथिलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 के हाथां एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिष्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी श्री चेतन मेरोठा को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी के कार्यालय हाजा के लिए रूखसत किया गया। फर्द पेशकशी नियमानुसार

मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत को शामिल फाईल किया गया। समय 12.10 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय जाप्ता मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान व साथ लाये वाहनो के वहां से रवाना हो मिनी सचिवालय झालावाड पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री चेतन मेरोठा को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालु करवाकर आरोपीगण से रिष्वत देन हेतु एवं रिश्वत राशि ग्रहण करने के बाद निर्धारित इशारा करने की हिदायत कर मिनी सचिवालय के सेकेण्ड फ्लोर पर स्थित आरोपीगण के कार्यालय रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान आरोपीगण के कार्यालय के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के इशारे में मुकिम हुये। समय 12.35 पी.एम. पर परिवादी श्री चेतन मेरोठा मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास बिना कोई इशारा किये आया ओर बन्दशुदा डिवीआर मय मैमोरी कार्ड पेश कर बताया कि "मै महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय में श्री सत्यानारायण नावरिया जी को रिश्वत राशि देने गया था लेकिन वो अपने कार्यालय में नहीं है, मैं वंहा से रिकॉर्डर बन्द करके नीचे आ रहा था तो मुझे सिढीयों के पास हरिओम मिल गया था, मैने उससे कहा कि मैं तुम्हारे कहेनुसार साहब को देने के लिए 10,000 रू. लेकर आ गया हूं, सत्यनारायण जी तो अपने कक्ष में नहीं हैं, तो हरिओम ने कहा कि साहब अभी थोडी देर पहले ही झालरापाटन गये हैं, थोडी देर में आ जायेंगे मैं भी अभी थोडी देर में वापस आता हूं फिर साहब से बात करते है। परिवादी के कहेनुसार आरोपीगण को कार्यालय में आने में समय लगेगा, अतः मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान के मिनी सचिवालय सें अपने-अपने वाहनों सें रवाना होकर अन्यत्र स्थान आर.टी.डी.सी. होटल के पास तालाब के पास पहुंच आरोपीगण के उनके कार्यालय में आने के इन्तजार में मुकिम हुये। समय 1.50 पी.एम.पर परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैने कार्यालय में तलाश करवाया हैं, सत्यनारायण जी नावरिया अपने कक्ष में आ गये हैं, इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान व साथ लाये वाहनो के मिनी सचिवालय झालावाड पहुचां, जहां पर परिवादी श्री चेतन मेरोठा से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालु करवाकर आरोपीगण से रिष्वत लेनदेन वार्ता हेतु निर्धारित इशारा करने की हिदायत कर समय करीबन 2.00 पी.एम. पर आरोपी के कक्ष के लिए रवाना किया गया। समय 2.10 पी.एम. पर परिवादी आरोपी के कक्ष के पास थोडी देर रूककर मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास आया तथा रिकॉर्डर बन्द करके बताया कि कार्यालय में सत्यनारायण जी नावरिया तो बैठे हुये हैं, किन्तु हरिओम अभी तक नहीं आया हैं, उसने मुझसें मेरे साथ जाकर साहब सें मिलाने व रिश्वती राशि सत्यनारायण जी को दिलाने के लिए कहा हैं, अतः उसके आने पर ही मैं वापस जाऊंगा। समय 2.40 पी.एम. पर परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि हरिओम अपने कक्ष की तरफ जा रहा हैं, इस पर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालु करवाकर पुनः आरोपीगण के कक्ष की ओर रवाना किया। समय 3.02 पी.एम. पर रूबरू गवाहान के समक्ष परिवादी श्री चेतन मेरोठा ने आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का मन् पुलिस उप अधीक्षक अनिष अहमद को अपने सिर पर हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा करके पैदल चलते हुये मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास पहुंचा, परिवादी ने कहा कि हरिओम ने पैसे ले लिये हैं, इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से रिकॉर्डर लेकर बन्द किया तथा परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं सत्यनारायण जी नावरिया के कक्ष के बाहर ही खडा था काफी देर बाद हरिओम आया तथा उसने मुझसे कहा कि साहब ही जोर दे रहे हैं मुझे तो पता हैं आपके बहुत खर्चे होते हैं गाडी में कुछ बचता नहीं हैं फिर मैने कहा कि आप बात कर लो उनसें मै तो पहले भी आया था पांच हजार रू. लेकर तब उन्होने मना कर दिया था, इसके बाद हरिओम सत्यनारायण जी के पास गया तथा कुछ समय बाद वापस आया तब मैने उससे पूछा कि हूं (क्या कहा) तब हरिओम ने कहा कि मुझे दे दो मैने फिर सें पूछा की आपको दे दूं तब उसने सिर हिलाकर कहा कि हां दे दो मैं क्या कर सकता हूं, फिर मैने दस हजार रू. अपनी पेंट की जेब सें निकाल उसके हाथ में दिये जिनको लेकर वो अपने कक्ष में चला गया हैं, इस मन उप अधीक्षक पुलिस दोनो स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश कुमार व श्री महावीर मोनी, मय परिवादी ट्रेप पार्टी के सदस्यों, श्री देशराज पुलिस निरीक्षक, श्री आशिक हुसैन, स.उ.नि., श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197, श्री योगेश कुमार, कानि. 291, श्री रवि यादव कानि. 285 मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणो मय ट्रेप बॉक्स के मिनी सचिवालय, झालावाड के कमरा नम्बर-307 के सामने पहुंचा, जंहा पर सफेद शर्ट एवं काले रंग की पेंट पहना हुआ व्यक्ति कमरे से बाहर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर परिवादी ने मन उप अधीक्षक को बताया कि यही हरिओम हैं, जिसने मेरी गाडी के पूर्व में पास हुये बिलो की एवज में रिश्वत राशि की मांगकर तथा रिश्वत राशि नहीं देने पर पास हुये बिलो की रिकवरी निकालने का भय दिखाकर मुझसे, स्वंय एवं श्री सत्यनारायण नावरिया, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड के लिए 10,000 रू. रिश्वत की राशि अपने हाथ से प्राप्त कर अपने कक्ष में चला गया था, इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर, उसको हमराह लेकर कमरा नम्बर 307 में पहुंचा तथा उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरिओम रावत पुत्र श्री दीपचंद रावत जाति गुर्जर, उम्र 32 साल निवासी- ग्राम व पोस्ट कनवाडा थाना झालरापाटन जिला झालावाड हाल निवासी- मकान नम्बर, बृ दृ 43, राजलक्ष्मी नगर, झालावाड, हाल अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, महिला अधिकारिता विभाग, झालावाड, मोबाईल नम्बर बताया तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने हमराही जाब्ते मे सें श्री योगेश कुमार कानि.291 सें होने वाली कार्यवाही की पूर्व सें निर्धारित मोबाईल से कैमरा

चालु करवाकर मोबाईल में लगे हुये मेमेरी कार्ड में विडियो रिकॉर्ड करने के लिए निर्देश दिये, रिकॉर्डिंग चालु करने के पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा हरिओम रावत से, परिवादी चेतन मेरोठा से लिये गये 10,000 रू. रिश्वती राशि बाबत पूछा तो हरिओम ने कहा कि मैने इससे कोई रू. नहीं लिये हैं ना ही मेरे पास कोई रिश्वती राशि हैं, इस पर परिवादी ने हरिओम की बात का खण्डन करते हुए बताया कि अभी तो लिये आपने मुझसे पैसे तो हरिओम ने फिर से मना कर दिया तथा कहा मैने आपको कहा था कि आप जानो साहब जाने मैने साहब को केह दिया सर, इस पर परिवादी ने कहा कि अभी आपने साहब को देने के लिए मुझसे पैसे लिये थे ना आपने कहा कि मैं दे दूंगा। इसके बाद फिर से हरिओम ने मना किया कि मैने कोई पैसे नहीं लिये मेरी तलाशी ले लो मेरे पास कोई रू. नहीं हैं, इस पर हरिओम रावत को उसके कक्ष में बैठाया गया तथा पुनः पूछने पर उसके द्वारा रिश्वती राशि लेने सें इन्कार किया गया तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान व जाब्ते को उसके कक्ष की तलाशा हेतु कहा गया तो स्वतंत्र गवाह ने कक्ष में लाल रंग के कपडो में बंधी हुई फाईलों के बस्ते को उठाकर बताया कि पैसे यंहा रखे हैं, उपरोक्त नोटों को स्वतंत्र गवाहान से उठवाकर गिनवाया गया तो वो राषि 10,000 रू. थी, उपरोक्त राशि को टेबल पर रखवाया गया तत्पश्चात पास ही स्थित कार्यालय से श्री सत्यनारायण नावरिया को एसीबी जाब्ते की मदद सें कमरा नम्बर 307 में स्थित हरिओम के कक्ष में बुलाया गया तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सत्यनारायण नावरिया पुत्र श्री सुखपाल जाति खटीक उम्र 43 साल निवासी- प्लाट नम्बर 51, झोटवाडा जयपुर हाल निवास-देवडा जी मकान, मनोरमा विला, गोदाम की तलाई, झालावाड हाल सहायक निदेशक, महिला अधिकारीता विभाग, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड, मोबाईल नम्बर- बताया, तत्पश्चात दोनों व्यक्तियों से परिवादी से लिये गये रिष्वती राषि दस हजार रू. के बारे मे पूछा तो हरिओम ने फिर से मना कर दिया तथा परिवादी को कहने लगा कि मैने तो तेरे को मना कर दिया था, फिर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कहा कि मेरे पास आज की नहीं दस दिन की रिकॉर्डिंग हैं, इसके बाद भी हरिओम ने पैसे लेने सें इन्कार कर दिया, तत्पश्चात सत्यनारायण नावरिया से परिवादी चेतन मेरोठा से लिये गये रूपयों बाबत पूछा तो सत्यनारायण नावरिया ने कहा कि हमने इससे कोई रू. नहीं मांगे इस पर परिवादी ने दोनों की बात का खण्डन करते हुए कहा मेरे बिल पास करने के पैसे मांगे थे इस पर सत्यनारायण नावरिया ने कहा कि हमने तो इसके बिल पास कर दिये इसका कोई काम इस कार्यालय में पेण्डिग नहीं हैं। इस पर परिवादी चेतन मेरोठा ने कहा कि सर (हरिओम) ने बोला की मैं पहुंचा दूंगा, तब हरिओम ने कहा मैने थोडी लिये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने पुनः अपना परिचय दिया तथा पूर्व के हालात बताकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की सत्यनारायण नावरिया तथा हरिओम सें परिवादी के कार्य एवं बिलों के संबंध में वार्ता की तो सत्यनारायण नावरिया ने बताया कि इसकी गाडी का 12 दिन का बिल 34100 रू. को हमने पास कर दिया हैं तथा ये हमारे ऑफीस में भी काम नहीं करता है, तत्पश्चात परिवादी ने कहा कि अभी सर मैं पैसे देने आया था मेरी गाडी इनके ऑफीस से हट गई थी तथा उसके 12-13 दिन का बिल बनाया था तो उसके आधे पैसे ये मांग रहे थे दस हजार रू., इन्होने (हरिओम) ने कहा था कि अभी साहब से बात करके आता हूं तथा ये भी कहा था कि रिकवरी निकलवा देंगे अगर ये रू. नहीं दोगे तो, तब परिवादी से मन उप अधीक्षक पुलिस ने पूछा कि इन्होने क्या कहा था कि मुझे दे दो तब परिवादी ने कहा कि इन्होने कहा था कि साहब से बात करके आता हूं फिर आकर मुझे कहा, इस पर हरिओम ने कहा कि मैने तो नहीं लिये ना तब परिवादी ने कहा कि मेरे बिलों को पास करवाने के लिए लिये हैं तब सत्यनारायण नावरिया ने कहा कि तुम्हारा बिल तो पास हो गया फिर क्या चाहते हो हम सें तब परिवादी ने कहा कि दस हजार रू. के लिए आप बोल तो रहे हो सर मेरा बिल ही बडी मुश्किल से पास किया आपने तब सत्यनारायण नावरिया ने कहा कि हमने तेरा 12 दिन का बिल पास कर दिया ना तेरा तब परिवादी ने कहा कि बिल बडी मुश्किल से पास हुआ हैं तथा आप 10 हजार रू. की डिमाण्ड कर रहे हो तथा आपने मेरा बिल वापिस मंगवा लिया रिकवरी कराने के लिए तब सत्यनारायण नावरिया ने कहा कि किसने बोला रिकवरी के लिए तब परिवादी ने कहा कि सर (हरिओम) ने बोला था तत्पष्चात हरिओम मन उपअधीक्षक पुलिस सें उसको बचाने के लिए गुहार लगाने लगा। मन उप अधीक्षक पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करवाई। परिवादी के कहेनुसार आरोपी हरिओम ने उससे रूपये अपने हाथ में लेकर उसके कक्ष में गया था, अतः आरोपी श्री हरिओम की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की, एक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर व पीने के पानी की बोतल से पानी डलवाया जाकर, गिलास में घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी हरिओम के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात एक नया डिस्पोजल गिलास लिया गया तथा गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर उसमें पीने के पानी की बोतल से पानी डलवाकर हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया। तत्पश्चात आरोपी हरिओम सें पुछा गया कि आप परिवादी से रिश्वती राशि लेकर अपने कक्ष में आये जब आपने अपनी पेंट की जेब में पैसे रखे थे क्या तब आरोपी हरिओम ने पेंट में पैसे रखने में मना किया, आरोपी से पुनः पूछा गया कि क्या आप जब परिवादी सें रूपये लेकर आये तब रूपये आपके हाथ में ही थे या आपने पेंट की जेब में रख लिये थे या सीधे ही लाकर बस्तों के नीचे रख लिये थे, तब

हरिओम ने कहा कि सीधे ही लाकर रख दिये थे, आरोपी हरिओम की वार्ता का समर्थन करते हुये परिवादी ने भी कहा कि ये पैसे अपने हाथ में लेकर सीधे ही इनके कक्ष में आ गये थे तथा थोडी देर में ही बाहर आ गये थे, परिवादी एवं आरोपी दोनों के कहेनुमार आरोपी ने पेंट की जेब में रिश्वती राशि नहीं रखी थी अतः पेंट का धोवन नहीं लिया गया, तत्पश्चात रिश्वत राशि दो लाल रंग के फाईलों के बस्तों के मध्य सें बरामद हुई हैं, अतः उपरोक्त दोनों लाल रंग के कपडों के बस्तो सें फाईलें निकलवाकर पृथक सें कार्यालय में रखवाई गई, तत्पश्चात उपरोक्त दोनों बस्तों के कपडे का वो स्थान जंहा से रिश्वती राशि बरामद हुई हैं उन स्थानो पर पेन्सील से निशान बनवाया गया तथा ऊपर के बस्ते के स्थान का धोवन लिये जाने हेतु एक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर व पानी डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात उक्त घोल में ऊपर के बस्ते के चिन्हीत किये गये स्थान को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर मील चिट कर मार्क UFC-1, UFC -2 अंकित किया। इसके पश्चात नीचे के बस्ते के स्थान का धोवन लिये जाने हेतु एक नये डिस्पोजल गिलाम में मोडियम कार्बोनेट पावडर व पानी डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात उक्त घोल में नीचे के बस्ते के चिन्हीत किये गये स्थान को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क BFC-1, BFC -2 अंकित किया। काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलासों को जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। उपरोक्त दोनों लाल बस्तो को सुखाकर बस्तों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये तथा दोनों बस्तों को पृथक--पृथक कपडे की थैली में रखकर ऊपर वाले एंव नीचे वाले बस्ते की थैलियों पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैलियों पर क्रमषः मार्क- UFC व BFC अंकित कर सील्ड चिट कर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात फाईलों के लाल बस्तों के मध्य सें बरामद राशि पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल दस हजार रू. के नोटों के नम्बरों का मिलान गवाहान से फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ, नोटों के नम्बर निम्नानुसार है - श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 से सरकारी वाहन बोलेरो के डेसबोर्ड से फिनोल्फथिलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोल्फथिलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री चेतन मेरोठा की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश कुमार मीना से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रो एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिष्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये, उक्त भारतीय मुद्रा के पांच- पांच सौ रूपये के दस नोट कुल 5,000 रूपये को परिवादी के पहनी हुई पेंट के पीछे की दायीं जेब मे श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से सीधे ही रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में गाडी में रखी पीने के पानी की बोतल से साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोल्फथिलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 के हाथां एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीषियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप मे नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिष्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री चेतन मेरोठा को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिष्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता की डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 को मय फिनोल्फथिलीन पाउडर की षिषी के कार्यालय हाजा के लिए रूखसत किया गया। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान व साथ लाये वाहनो के रवाना हो समय 04.12 पी.एम पर मिनी सचिवालय झालावाड पंहुचा, जंहा पर परिवादी श्री चेतन मेरोठा से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालु करवाकर आरोपीगण को रिष्वत देने हेतु एवं रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात् निर्धारित इशारा करने की हिदायत कर मिनी सचिवालय के सेकेण्ड फ्लोर पर स्थित आरोपीगण के कार्यालय, महिला बाल विकास विभाग, झालावाड की ओर रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान आरोपीगण के कार्यालय, महिला बाल विकास विभाग, झालावाड के आस-पास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के इशारे में मुकिम हुये। इसके बाद समय 05.35 पी. एम. पर परिवादी श्री चेतन मेरोठा मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास बिना कोई इशारा किये आया ओर बन्दशुदा डिवीआर

मय मैमोरी कार्ड पेश कर बताया कि "मै महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय में श्री सत्यानारायण नावरिया जी को रिश्वत राशि देने गया था लेकिन वो अपने कार्यालय में किसी मिटीग में व्यस्त थे। इसलिए मै लगभग तीन-चार बार डिवीआर चालू व बन्द कर उनके कार्यालय में गया था, परन्तु श्री सत्यनारायण नावरिया जी मिटींग से संबंधित कार्य में अन्य कार्मिको के साथ व्यस्त थे, जिसके कारण मै काफी देर तक उनसे नही मिल पाया। समय 5.22 पीएम पर श्री सत्यनारायण नावरिया को चेम्बर में अकेला देखकर डिवीआर चालूकर रिश्वत लेनदेन हेतु गया, श्री सत्यनारायण जी से मैने कहा सर पेमेन्ट तो उन्होने कहा हो गया काम तो मैने कहा जी सर हरिओम जी को दे दूं। तो उन्होने आश्चर्य जनक तरिके से "हुं" बोलते हुए मुझे बाहर जाने का इशारा किया, फिर मैने कहा किनको देना है हरिओम जी को तो उन्होने कहा "हा ठीक है कोई दिक्कत नही है, हो गया काम" और इशारे में मुझे जाने के लिए कहा तो, मैं रवाना होकर हरिओम के पास गया मगर कार्यालय समय समाप्त हो जाने के कारण वो उसके कक्ष में नही मिला, वहां से रवाना होकर आपके पास आ गया। हमारे बीच जो भी बातचीत हुई है, वह आपके कार्यालय के इस रिकोर्डर में रिकोर्ड है।" मन् उप अधीक्षक ने डिवीआर को चालूकर उसमे रिकोर्डेड वार्ता को सुना तो परिवादी के कथन की पुष्टि हुई है, परिवादी ने कहा कि आज हरिओम अपने कक्ष में नहीं हैं तथा आईन्दा जब भी मैं हरिओम सें मिलुंगा आपको पूर्व सें सुचित कर दूंगा तब आप मय टीम के आ जाना। फिर समय 06.30 पी. एम. पर चूंकि कार्यालय समय भी समाप्त हो चुका है एवं आरोपीगण कार्यालय से जा चुके है अब रिश्वत लेन देन की कोई सम्भावना नही हैं तथा परिवादी ने कहा हैं कि आईन्दा मैं आपको सूचित करूं जब आप आ जाना, अतः आईन्दा कार्यवाही परिवादी के कहेनुसार की जानी हैं, अतः स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश कुमार मीना से परिवादी की पेन्ट की पीछे की दायी जेब से रिश्वत राशि 5,000 रूपये निकलवाये जाकर सफेद रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर गवाह श्री रूपेश कुमार मीना के पास सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी श्री चेतन मेरोठा को हिदायद दी गई की उक्त प्रकरण में कोई भी प्रक्रिया हो मन् पुलिस उप अधीक्षक को तुरन्त सुचित करें। गोपनीयता की हिदायद कर परिवादी को मौके से रूखसत कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराही जाप्ता, स्वतत्रं गवाहान्, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड, रिश्वत राशि 5000 रूपये मय लिफाफा एवं अन्य सामग्री के सरकारी वाहन बोलेरो, जीप एवं प्राईवेट वाहन से एसीबी चौकी कोटा के लिये रवाना हुआ। जो समय 09.30 पी.एम. पर मय हमराहीयान मय साथ लाये वाहनो के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश कुमार मीना से रिश्वत राशि का सफेद लिफाफा मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सउनि को सुपूर्द कर सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। डिवीआर मय मैमोरी कार्ड व अन्य सामग्री कार्यालय में सुरक्षित रखवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायद देकर कार्यालय से सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 29.08.2025 समय 02.21 पी.एम. पर परिवादी चेतन मेरोठा का श्री अभिषेक कानि के मोबाईल पर फोन आया कि मैं अपने पारिवारिक कार्यो में व्यस्त होने के कारण मैं मिनी सचिवालय झालावाड नहीं जा पाया था मेरे पास हरिओम ने मैसेज करवाया हैं कि चेतन हमको चक्कर दे रहा हैं, उसके कहने पर मैने साहब से निवेदन करके उसके बिल पास करवा दिये तथा बिल पास करवाने की एवज में उसके द्वारा तय राषि अभी तक भी नहीं दी हैं, अगर वो 10,000 रू. लेकर नहीं आयेगा तो उसके हमारे विभाग से पास हुये बिलो की रिकवरी निकाल देंगे तथा आईन्दा उसकी गाडी इस विभाग में कभी भी नहीं लगायेंगे। अतः अब सत्यनारायण नावरिया द्वारा मेरी गाडी के पास किये गये बिलों की एवज में मुझसे 10,000 रू. ही लेगा नहीं तो वो रिकवरी निकलवा देगा, अतः अब उसको 10,000 रू. ही देने पडेंगे, मैं 5000 रू. की ओर व्यवस्था करके जिस दिन आपको कहूं आप एसीबी टीम लेकर आ जाना । दिनांक 03.09.2025 समय 11.50 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी चेतन मेरोठा को कॉल किया तो परिवादी ने कहा कि मैंने सत्यनारायण नावरिया एवं हरिओम को देने वाली रकम 5000 रू. की ओर व्यवस्था कर ली हैं आप मेरे द्वारा पूर्व में दी हुई राशि 5000 रू. व टीम को लेकर कल सुबह आ जाओ। इस पर परिवादी को कल दिनांक 04.09.2025 को प्रातः झालावाड मिलने के लिए कहा तथा दिनांक 04.09.2025 को प्रातः 8.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु दोनो स्वतत्रं गवाहान श्री रूपेश मीना एंव श्री महावीर सोनी व जाब्ते को पाबन्द किया गया। दिनांक 04.09.2025 समय 08.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री रूपेश कुमार मीना हाल वरिष्ठ सहायक, एवं श्री महावीर प्रसाद सोनी हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, विकास अनुभाग कलेक्ट्रट कोटा, कार्यालय हाजा उपस्थित आये। फिर समय 08.30 ए.एम. पर श्री आशिक हुसैन सउनि मालखाना इन्चार्ज मे मालखाने मे सफेद लिफाफे में सुरक्षित रखी 5,000 रूपये रिश्वत राशि को निकालकर स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश कुमार मीना को सुपूर्द करवाई गई तथा श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से मालखाने से फिनोल्फथिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर सरकारी बोलेरो वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.एल. 5815 के डेस्क बोर्ड में रखवाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक अनिष अहमद मय जाप्ता, श्री देषराज पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिहं हैड कानि 140, श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 मय सरकारी बोलेरो वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.एल. 5815 मय कानि चालक श्री तंवर सिहं 506 मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिंन्टर, ट्रेप बॉक्स, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड, लेन-देन प्रयास वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के झालावाड के लिए रवाना हुआ तथा श्री आशिक हुसैन सउनि श्री योगेश गोचर कानि 291, श्री रवि यादव कानि 285, श्री अभिषेक चौधरी कानि 197 व दोनो स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन के मन् पुलिस उप अधीक्षक के पीछे-पीछे झालावाड आने के निर्देश दिये गये। रवाना हो समय 11.20 ए.

एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक अनिष अहमद मय हमराह् जाप्ता, दोनो स्वतंत्र गवाहान् के उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिंन्टर, ट्रेप बॉक्स, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड, लेन-देन प्रयास वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से पृथक-पृथक आकाशवाणी केन्द्र झालारापाटन रोड, झालावाड पहुंचे, जहां परिवादी श्री चेतन मेरोठा, उपस्थित मिला, समय 11.30 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री चेतन मेरोठा पुत्र श्री चौथमल मेरोठा जाति धोबी उम्र 27 साल निवासी ग्राम जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड ने श्री सत्यनारायण नावरिया डिप्टी डायरेक्टर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैं- क्र. सं. नोटों का विवरण नोटों के नम्बर 1 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 GQ 184637 2 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1 BC 187578 3 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 CG 400391 4 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 HV 059185 5 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1 NQ 382918 6 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 MP 932251 7 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5 EA 936495 8 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 QU 559472 9 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 LB 822843 10 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 BT855652 11 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 GN 575614 12 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 FN 886568 13 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 AB 174562 14 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 DM 947922 15 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 DN 741336 16 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 CH 703715 17 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 PU 229434 18 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 EQ 587964 19 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 RN 247191 20 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 DM 612826 उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक सफेद लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। श्री योगेश कुमार कानि. से मोबाईल मे की जा रही कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बन्द करवाया गया तथा मोबाईल में मेमोरी कार्ड निकलवाकर सुरक्षित रखा गया। मेमोरी कार्ड की डबिंग पृथक में बनाई जावेगी। आरोपी के आवास की खानातलाशी बाबत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड को लेपटोप कनेक्ट कर वक्त लेनदेन हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो वार्ता में परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई है। आरोपी श्री हरिओम रावत की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह् श्री रूपेश मीना सें लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपडों में पेंट की जेब में पर्स मिला, पर्स में 1060 रू., आधार कार्ड, पेन कार्ड, 2 एटीएम कार्ड (एसबीआई एवं बैंक ऑफ बडौदा), कार्यालय पहचान पत्र तथा हाथ की कलाई में एक घडी तथा एक मोबाईल गैलेक्सी एस 22, सैमसंग कम्पनी का, आईएमईआई नम्बर प्रथम- सीम नम्बर- तथा दुसरे आईएमईआई नम्बर- तथा जिसमें दूसरी सीम नहीं हैं, इत्यादि मिलें हैं, पर्स में मिले रूपयों बाबत पूछने पर बताया ये रूपये मेरे खर्चे के लिए रखे हुये हैं मैने करीबन एक सप्ताह पहले बैंक सें खर्चे के लिए 5000 रू. एटीएम में निकलवाये थे जिनके सें खर्च होने के बाद बची हुई रकम है। उपरोक्त राषि बाबत दिया गया जवाब संतोषप्रद हैं, अतः तलाषी में मिले मोबाईल के अलावा समस्त सामान पृथक से परिजनों को सुपुर्द किये जायेंगे, मोबाईल सें आरोपी की परिवादी सें कई वार्तायें हुई हैं, अतः उक्त मोबाईल को अनशील्ड वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण नावरिया की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह् श्री रूपेश मीना सें लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपडों में पेंट की जेब में 340 रू., कार्यालय पहचान पत्र तथा एक मोबाईल रेड मी कम्पनी का, मॉडल नम्बर आईएमईआई नम्बर प्रथम- सीम नम्बर- तथा दुसरे आईएमईआई नम्बर- तथा जिसमें दूसरी सीम नहीं हैं, इत्यादि मिलें हैं, पर्स में मिले रूपयों बाबत पूछने पर बताया ये रूपये मेरे खर्चे के लिए रखे हुये हैं। तलाशी में मिले मोबाईल के अलावा समस्त सामान पृथक से परिजनों को सुपुर्द किये जायेंगे, मोबाईल को अनशील्ड वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी सत्यनारायण नावरिया से परिवादी के कार्य के संबंध में पूछा तो कहा कि इनके कार्य की फाईल कार्यालय में ही हैं, इस पर कार्यालय में उपस्थित शैलेश कुमार पुत्र हरि सिंह, सी.डी.पी.ओ. झालारापाटन से परिवादी के कार्य से संबधित दस्तावेज बाबत अवगत कराने पर उनके द्वारा परिवादी के कार्य उसके गाडी के पास किये गये बिलो की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाई, जिनको शामिल फाईल किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मे पाया गया कि परिवादी के प्रार्थना पत्र अनुसार परिवादी की कार का माह मई का 12 दिन के बिल का भुगतान पास करने की एवज में सत्यनारायण नावरिया, सहायक निदेशक, महिला अधिकारीता विभाग, उप निदेषक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड, एवं हरिओम रावत, अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, महिला अधिकारिता विभाग, झालावाड द्वारा 10 हजार रू. की मांग की गई, मांग के क्रम में परिवादी द्वारा दिनांक 14.08.2025 को सत्यनारायण . नावरिया से मिलकर उसके बिल पास करने की एवज में मांगी जा रही राशि को कम करने के लिए कहा तो श्री सत्यनारायण नावरिया द्वारा हरिओम से बात करने के लिए कहा तत्पश्चात परिवादी द्वारा हरिओम सें मिलकर डिमाण्ड राशि कम करने के लिए कहने पर हरिओम ने कहा कि पांच छः दे दुआ के फ्री करो साहब को, तत्पश्चात दिनांक 19.08.2025 को प्रातः

परिवादी पुनः हरिओम से मिला तथा उससे उसके बिल की राषि के बारे में बात की तो हरिओम ने बिल देखकर बताया कि तुम्हारे खाते में 34100 रू. आये होंगे, तत्पश्चात सत्यनारायण नावरिया के लिए पूछा तो कहा कि साहब अभी मिटींग में हैं शाम को दे जाना साहब को, तत्पश्चात सायंकाल परिवादी सत्यनारायण नावरिया से मिला तथा उसको हरिओम से हुई वार्ता के क्रम में कहा कि सर वो पेमेंट, तब सत्यनारायण ने पूछा की हां बोलो तब परिवादी ने कहा कि सर पेमेंट, तब सत्यनारायण नावरिया ने कहा कि हो गया काम, जब परिवादी ने कहा कि जी सर हरिओम को दे दूं, तब सत्यनारायण नावरिया ने कहा कि "हूं," इस पर परिवादी ने पुनः पूछा की किनको देना है हरिओम जी को, जब सत्यनारायण नावरिया ने कहा कि "हां ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो गया काम" तथा परिवादी को जाने का इशारा किया, तत्समय कार्यालय समय समाप्त होने तथा हरिओम कार्यालय में उपस्थित नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी तथा परिवादी के कहेनुसार आज दिनांक 04.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर परिवादी को कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग भेजा गया तो परिवादी को हरिओम कार्यालय के बाहर मिला तथा परिवादी ने रिश्वती राशि बाबत अवगत कराया तो हरिओम ने कहा कि साहब से बात करके आता हूं तथा हरिओम रावत, सत्यनारायण नावरिया के कक्ष में जाकर वापस आया तथा परिवादी द्वारा पूछने पर रिश्वती राशि 10,000 रू. स्वंय को देने के लिए कहा, अतः परिवादी के पास हुये बिलो की एवज में रिश्वत नहीं देने पर रिकवरी निकलवाने तथा भविष्य में परिवादी के वाहन को अनुबन्ध पर नही लगाने का भय दिखाकर रिश्वती राशि प्राप्त करने में श्री सत्यनारायण नावरिया एंव श्री हरिओम रावत की आपसी महमती होने, रिश्वती राशि आरोपी हरिओम के कक्ष में रखी हुई फाइलों के बस्तो के मध्य में बरामद होने, आरोपी हरिओम के दोनों हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं मटमैला आने तथा दोनों बस्तों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने से आरोपी 1.आरोपी हरिओम रावत पुत्र श्री दीपचंद रावत जाति गुर्जर, उम्र 32 साल निवासी- ग्राम व पोस्ट कनवाडा थाना झालरापाटन जिला झालावाड हाल निवासी- मकान नम्बर, बृ दृ 43, राजलक्ष्मी नगर, झालावाड, हाल अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, महिला अधिकारिता विभाग, झालावाड, 2. सत्यनारायण नावरिया पुत्र श्री सुखपाल जाति खटीक उम्र 43 साल निवासी- प्लाट नम्बर 51, झोटवाडा जयपुर हाल निवास-देवडा जी मकान, मनोरमा विला, गोदाम की तलाई, झालावाड हाल सहायक निदेशक, महिला अधिकारीता विभाग, उप निदेषक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से दण्डनीय अपराध है। डिटेनशुदा आरोपी श्री हरिओम रावत एवं श्री सत्यनारायण नावरिया को पृथक से जर्ये फर्द गिरफ्तार किया जावेगा। हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरीन को पढवाई गई, पढकर कर सही मान सभी ने अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये। फर्द को शामिल फाईल किया गया। फिर समय 05.30 पी.एम. पर आरोपी श्री हरिओम रावत व परिवादी श्री चेतन मेरोठा के मध्य दिनांक 14.08.2025 एवं 19.08.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 04.09.2025 को वक्त रिश्वत राशि लेन देन के समय हुई वार्ता में रिकोर्ड आवाज का एफ.एस.एल. जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमुना देने हेतु आरोपी हरिओम रावत को नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि "मैं अपनी स्वेच्छा से आवाज का नमूना नहीं देना चहाता हूं" तथा हस्ताक्षर किये, नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। फिर समय 05.50 पी.एम. पर आरोपी श्री सत्यनारायण नावरिया व परिवादी श्री चेतन मेरोठा के मध्य दिनांक 14.08.2025 को रिश्वत मांग वार्ता एवं 19.08.2025 को परिवादी द्वारा रिश्वत लेनदेन हेतु मिलने के समय हुई रिकॉर्ड वार्ता आवाज का एफ.एस.एल. जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमुना देने हेतु आरोपी हरिओम रावत को नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि "मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं" तथा हस्ताक्षर किये, नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय 06.10 पी. एम. पर स्वतत्रं गवाहान व परिवादी के समक्ष, परिवादी श्री चेतन मेरोठा एंव आरोपी सत्यनारायण नावरिया के मध्य दिनांक 14.08.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, को सुना जाकर दोनों गवाहान के समक्ष फर्द ट्रासंक्रिप्ट श्री अभिषेक कानि.197 से कार्यालय के सरकारी लेपटोप से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 07.00 पी.एम. पर स्वतत्रं गवाहान व परिवादी के समक्ष, परिवादी श्री चेतन मेरोठा एंव आरोपी हरिओम रावत के मध्य दिनांक 14.08.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, को सुना जाकर दोनों गवाहान के समक्ष फर्द ट्रासंक्रिप्ट श्री अभिषेक कानि.197 से कार्यालय के सरकारी लेपटोप से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। फिर समय 07.40 पी.एम. स्वतत्रं गवाहान व परिवादी के समक्ष, परिवादी श्री चेतन मेरोठा एंव आरोपी हरिओम रावत के मध्य दिनांक 19.08.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, को सुना जाकर दोनों गवाहान के समक्ष फर्द ट्रासंक्रिप्ट श्री अभिषेक कानि.197 से कार्यालय के सरकारी लेपटोप से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। फिर समय 08.30 पी.एम. पर स्वतत्रं गवाहान व परिवादी के समक्ष, परिवादी श्री चेतन मेरोठा एंव आरोपी सत्यनारायण नावरिया के मध्य दिनांक 19.08.2025 को परिवादी द्वारा रिश्वत लेनदेन हेतु मिलने के समय हुई

रिकॉर्ड वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, को सुना जाकर दोनों गवाहान के ममक्ष फर्द ट्रासंक्रिप्ट श्री अभिषेक कानि.197 से कार्यालय के सरकारी लेपटोप से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय 09.00 पी.एम. पर स्वतत्रं गवाहान व परिवादी के समक्ष, परिवादी श्री चेतन मेरोठा एंव आरोपी हरिओम रावत के मध्य दिनांक 04.09.2025 को रिश्वत लेनदेन के समय हुई रिकॉर्ड वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, को सुना जाकर दोनों गवाहान के समक्ष फर्द ट्रासंक्रिप्ट श्री अभिषेक कानि.197 से कार्यालय के सरकारी लेपटोप से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.10 पी.एम. पर घटना स्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होने के कारण परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल का नक्षा मौका कसीद किया जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय 11.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 14.08.2025 को परिवादी श्री चेतन मेरोठा एंव आरोपी श्री सत्यनारायण नावरिया व हरिओम के मध्य हुई रिश्वत मांग मत्यापन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 250814_1223.mp3 जो 333 KB, 250814_1258.mp3 जो 32,318 KB 250814_1340.mp3 जो 24,387 KB 250814_1552.mp3 जो 10,773 KB 250819_1055.mp3 जो 20,105 KB तथा दिनांक 19.08.2025 को परिवादी चेतन मेरोठा व आरोपी सत्यनारायण नावरिया के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 250819_1612.mp3 जो 8,873 KB 250819_1644. mp3 जो 9,003 KB 250819_1703.mp3 जो 13,374 KB 250819_1722.mp3 जो 11,643 KB एवं दिनांक 04.09.2025 को परिवादी श्री चेतन मेरोठा व आरोपी हरिओम के मध्य हुई रिष्वत लेन देन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 250904_1221.mp3 जो 13,061 KB 250904_1412.mp3 जो 8,357 KB 250904_1444.mp3 जो 33,728 KB की है। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं की फाईल को श्री अभिषेक कानि 197 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्डो सें कॉपी कर लेपटोप मे लिवाया जाकर वार्ता की सभी फाईलों की हैस वैल्यू निकाली गई तथा उक्त वार्ताओ के SanDisk 32 GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flase Drive कंपनी के पांच पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिममे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व दो पेन ड्राईव आरोपीयो के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए तीन मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर, तीनो मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की पृथक-पृथक थेलियों में रखकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कवर में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही सीजर की कार्यवाही को कार्यालय के मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में, जरिये मोबाईल श्री योगेश कानि0 291 द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। जिसकी मेमोरी कार्ड मे चार फाईल क्रमश 20241209_201037.mp4, जो 9,34159 KB 20241209_201926.mp4, जो 41,94,032 KB 20241209_205239.mp4, जो 41,93,313 KB 20241209_212548.mp4 जो 8,20,774 KB की हैं। उक्त मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप से श्री अभिषेक कानि. 197 के द्वारा लेपटोप पर कनेक्ट करवाकर उक्त मेमेरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई विडियो रिकॉर्डिंग फाईलों की हैस वैल्यू निकाली गई तथा उक्त वीडियोग्राफी को जरिये लेपटॉप SanDisk 32 GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flase Drive कंपनी के दो पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया, एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिए वजह मबूत कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर किया गया तथा मूल मेमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को माननीय न्यायालय के लिए वजह् सबूत जप्त कर कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर किया गया एवं कपडे की थैली पर मम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया फर्द डबिंग वार्ता व जब्ती पेन ड्राईव व मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। फर्द मुर्तिब की जाकर मम्बधितो को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। फर्द शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 05.09.2025 ममय 1.30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी हरिओम रावत हाल अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, महिला अधिकारिता विभाग, झालावाड, द्वारा परिवादी के पास हुये बिलो की एवज में रिश्वत नहीं देने पर रिकवरी निकलवाने तथा भविष्य में परिवादी के वाहन को अनुबन्ध पर नही लगाने का भय दिखाकर रिश्वती राशि प्राप्त करने, रिश्वती राशि आरोपी हरिओम के कक्ष में रखी हुई फाइलों के बस्तो के मध्य सें बरामद होने, आरोपी हरिओम के दोनों हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं मटमैला आने तथा दोनों बस्तों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने से आरोपी हरिओम रावत पुत्र श्री दीपचंद रावत जाति गुर्जर, उम्र 32 साल निवासी- ग्राम व पोस्ट कनवाडा थाना झालरापाटन जिला झालावाड हाल निवामी- मकान नम्बर, C – 43, राजलक्ष्मी नगर, झालावाड, हाल अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, महिला अधिकारिता विभाग, झालावाड का उक्त कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस.के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। चूंकि इस संबंध मे आरोपी से अनुसंधान किया जाना शेष है, आरोपी प्रभावशाली है, जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को डरा धमका कर या अन्य तरीके मे प्रभावित कर सकता है एवं अनुसंधान मे विपरित प्रभाव डाल सकता है, अतः उपरोक्त कारणों एवं आरोपी की न्यायालय मे उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक होने से आरोपी को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकारां से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना कहे अनुसार भतीजे सांवरिया गुर्जर को दी गई। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई। तत्पश्चात् समय 1.45 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी सत्यनारायण नावरिया हाल सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड, द्वारा परिवादी के पास हुये बिलो की एवज में रिश्वत नहीं देने पर रिकवरी निकलवाने तथा भविष्य में परिवादी के वाहन को अनुबन्ध पर नही लगाने का भय दिखाकर रिश्वती राशि प्राप्त करने में आरोपी श्री सत्यनारायण नावरिया एंव श्री हरिओम रावत की आपसी सहमती होने तथा रिश्वती राशि आरोपी हरिओम के कक्ष में रखी हुई फाइलों के बस्तो के मध्य में बरामद होने, आरोपी हरिओम के दोनों हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं मटमैला आने तथा दोनों बस्तों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने से आरोपी सत्यनारायण नावरिया पुत्र श्री सुखपाल जाति खटीक उम्र 43 साल निवासी- प्लाट नम्बर 51, झोटवाडा जयपुर हाल निवास-देवडा जी मकान, मनोरमा विला, गोदाम की तलाई, झालावाड हाल सहायक निदेशक, महिला अधिकारीता विभाग, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड का उक्त कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस.के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। चूंकि इस संबंध मे आरोपी से अनुसंधान किया जाना शेष है, आरोपी प्रभावशाली है, जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को डरा धमका कर या अन्य तरीके मे प्रभावित कर सकता है एवं अनुसंधान मे विपरित प्रभाव डाल सकता है, अतः उपरोक्त कारणों एवं आरोपी की न्यायालय मे उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक होने से आरोपी को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकारां से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना कहे अनुसार पृथक से परिजनो को दी गई। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई। फिर समय 2.10 ए.एम. पर गिरफ्ताषुदा आरोपीगण श्री हरिओम रावत, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री सत्यनारायण नावरिया, सहायक निदेशक, महिला अधिकारीता विभाग, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया हैं, आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना आवष्यक होने से ड्यूटी डॉक्टर एमआरजी. अस्पताल, झालावाड के नाम एक तहरीर जारी कर श्री देशराज पुलिस निरीक्षक को मय जाब्ता मय आरोपीगण के लिए रवाना किया गया। फिर समय 3.00 ए.एम. पर श्री देशराज पुलिस निरीक्षक गिरफ्ताशुदा आरोपीगण मय जाब्ता के उपस्थित आये तथा आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण का पर्चा सुपुर्द किया, जिसें शामिल फाईल किया गया। इसके बाद समय 4.20 ए.एम. पर इस समय परिवादी चेतन मेरीठा को मौके से सकुशल रूखसत किया जाकर, मन् पुलिस उप अधीक्षक अनिष अहमद मय जाप्ता, श्री देशराज पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिहं हैड कानि 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि 197 मय स्वतंत्र गवाह महावीर प्रसाद सोनी, मय सरकारी बोलेरो वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.एल. 5815 मय कानि चालक श्री तंवर सिहं 506 मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा धोवन की शील्डशुदा 8 शीशी , दो शील्डशुदा कपडे के पैकिट, रिश्वती राशि 10,000, शील्डशुदा 5 पेन ड्राईव एंव शील्डशुदा 4 मेमोरी कार्ड, अनशील्ड 2 पेनड्राईव के तथा श्री आशिक हुसैन सउनि, श्री योगेश गोचर कानि 291, श्री रवि यादव कानि 285, मय स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश मीना मय आरोपीगण श्री हरिओम रावत एवं श्री सत्यनारायण नावरिया मय प्राईवेट वाहन से मिनी सचिवालय झालावाड से कोटा के लिए रवाना हुये। फिर समय 6.20 ए.एम. पर मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता, श्री देशराज पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिहं हैड कानि 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि 197 मय स्वतंत्र गवाह महावीर प्रसाद सोनी, मय सरकारी बोलेरो वाहन संख्या आर.जे. 14 यू.एल. 5815 मय कानि चालक श्री तंवर सिहं 506 मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा आर्टिकल्स के तथा श्री आशिक हुसैन सउनि, श्री योगेश गोचर कानि 291, श्री रवि यादव कानि 285, मय स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश मीना मय आरोपीगण श्री हरिओम रावत एवं श्री सत्यनारायण नावरिया मय प्राईवेट वाहन से मिनी सचिवालय झालावाड से रवाना होकर एसीबी चौकी कोटा पहुंचे, प्रकरण में जब्तषुदा माल धोवन की शील्डशुदा 8 शीशी, दो शील्डशुदा कपडे के पैकिट, रिश्वती राशि 10,000 रूपये मय सफेद लिफाफा, शील्डशुदा 5 पेन ड्राईव के पैकिट तथा शील्डशुदा 4 मेमोरी कार्ड के पैकिट को श्री आशिक हुसैन स.उ.नि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फिर समय 6.30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री रूपेश मीना एवं श्री महावीर सोनी को कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया तथा कार्यालय हाजा में आरोपीगण को सुरक्षित रखने हेतु हवालात की व्यवस्था नहीं होने के कारण थानाधिकारी थाना नयापुरा के नाम तहरीर जारी कर दोनों गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री हरिओम रावत एवं श्री सत्यनारायण नावरिया को मय सरकारी वाहन मय आशिक हुसैन स.उ.नि. मय जाब्ता के थाना नयापुरा भिजवाया गया। इसके बाद समय 7.10 ए.एम. पर श्री

आशिक हुसैन, स.उ.नि. ने थाना नयापुरा के रोजनामचाआम की प्रविष्टी की प्रति पेश कर जाहिर किया कि कार्यालय हाजा से मय जाब्ता मय गिरफ्ताशुदा आरोपीगण सरकारी वाहन से रवाना होकर थाना नयापुरा गया तथा आरोपीगण को थाना नयापुरा की हवालात में जमा हवालात करवाकर कार्यालय हाजा आया हूं। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी के प्रार्थना पत्र अनुसार परिवादी की कार का माह मई का 12 दिन के बिल का भुगतान पास करने की एवज में सत्यनारायण नावरिया, सहायक निदेशक, महिला अधिकारीता विभाग, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड, एवं हरिओम रावत, अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, महिला अधिकारिता विभाग, झालावाड द्वारा 10 हजार रू. की मांग की गई, मांग के क्रम में परिवादी द्वारा दिनांक 14.08.2025 को सत्यनारायण नावरिया से मिलकर उसके बिल पास करने की एवज में मांगी जा रही राषि को कम करने के लिए कहा तो श्री सत्यनारायण नावरिया द्वारा हरिओम से बात करने के लिए कहा तत्पश्चात परिवादी द्वारा हरिओम सें मिलकर डिमाण्ड राशि कम करने के लिए कहने पर हरिओम ने कहा कि पांच छः दे दुआ के फ्री करो साहब को, तत्पश्चात दिनांक 19.08.2025 को प्रातः परिवादी पुनः हरिओम में मिला तथा उससे उसके बिल की राशि के बारे में बात की तो हरिओम ने बिल देखकर बताया कि तुम्हारे खाते में 34100 रू. आये होंगे, तत्पश्चात सत्यनारायण नावरिया के लिए पूछा तो कहा कि साहब अभी मिटींग में हैं शाम को दे जाना साहब को, तत्पश्चात सायंकाल परिवादी सत्यनारायण नावरिया सें मिला तथा उसको हरिओम से हुई वार्ता के क्रम में कहा कि सर वो पेमेंट, तब सत्यनारायण ने पूछा की हां बोलो तब परिवादी ने कहा कि सर पेमेंट, तब सत्यनारायण नावरिया ने कहा कि हो गया काम, जब परिवादी ने कहा कि जी सर हरिओम को दे दूं, तब सत्यनारायण नावरिया ने कहा कि "हूं," इस पर परिवादी ने पुनः पूछा की किनको देना हैं हरिओम जी को, जब सत्यनारायण नावरिया ने कहा कि "हां ठीक हैं कोई दिक्कत नहीं हैं, हो गया काम" तथा परिवादी को जाने का इशारा किया, तत्समय कार्यालय समय समाप्त होने तथा हरिओम कार्यालय में उपस्थित नहीं होने में रिश्वती राशि हरिओम को नही दी जा सकी तथा ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी तथा परिवादी के कहेनुसार दिनांक 04.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर 10,000 रू. की रिश्वत की राशि देकर परिवादी को कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग भेजा गया तो परिवादी को हरिओम कार्यालय कक्ष के बाहर मिला तथा परिवादी ने रिश्वती राशि बाबत अवगत कराया तो हरिओम ने कहा कि साहब से बात करके आता हूं तथा हरिओम रावत, सत्यनारायण नावरिया के कक्ष में जाकर वापस आया तथा परिवादी द्वारा पूछने पर रिश्वती राशि 10,000 रू. स्वंय को देने के लिए कहा, अतः परिवादी के पास हुये बिलो की एवज में रिष्वत नहीं देने पर रिकवरी निकलवाने तथा भविष्य में परिवादी के वाहन को अनुबन्ध पर नही लगाने का भय दिखाकर रिश्वती राशि प्राप्त करने में श्री सत्यनारायण नावरिया एंव श्री हरिओम रावत की आपसी सहमती होने, रिश्वती राशि आरोपी हरिओम के कक्ष में रखी हुई फाइलों के बस्तो के मध्य सें बरामद होने, आरोपी हरिओम के दोनों हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं मटमैला आने तथा दोनों बस्तों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने मे आरोपी 1. हरिओम रावत हाल अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, महिला अधिकारिता विभाग, झालावाड, 2. सत्यनारायण नावरिया हाल सहायक निदेशक, महिला अधिकारीता विभाग, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से दण्डनीय अपराध है। अतः आरोपी 1. हरिओम रावत पुत्र श्री दीपचंद रावत जाति गुर्जर, उम्र 32 साल निवासी- ग्राम व पोस्ट कनवाडा थाना झालरापाटन जिला झालावाड हाल निवासी- मकान नम्बर, C – 43, राजलक्ष्मी नगर, झालावाड, हाल अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, महिला अधिकारिता विभाग, झालावाड, 2. सत्यनारायण नावरिया पुत्र श्री सुखपाल जाति खटीक उम्र 43 साल निवासी- प्लाट नम्बर 51, झोटवाडा जयपुर हाल निवास-देवडा जी मकान, मनोरमा विला, गोदाम की तलाई, झालावाड हाल सहायक निदेशक, महिला अधिकारीता विभाग, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (अनिष अहमद ) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।...............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद पुलिस उप अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपीगण 1. हरिओम रावत पुत्र श्री दीपचंद रावत जाति गुर्जर, उम्र 32 साल निवासी- ग्राम व पोस्ट कनवाडा थाना झालरापाटन जिला झालावाड हाल निवासी- मकान नम्बर, C – 43, राजलक्ष्मी नगर, झालावाड, हाल अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, महिला अधिकारिता विभाग, झालावाड, एवं 2. सत्यनारायण नावरिया पुत्र श्री सुखपाल जाति खटीक उम्र 43 साल निवासी- प्लाट नम्बर 51, झोटवाडा जयपुर हाल निवास-देवडा जी मकान, मनोरमा विला, गोदाम की तलाई, झालावाड हाल सहायक निदेशक, महिला अधिकारीता विभाग, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. के में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अब्दुल माजिद खान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झालावाड को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 118 पर अंकित है।(महावीर

प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1309-13 दिनांक 07-09-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर । 3- आयुक्त, निदेशालय, महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर 4-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):**

**(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

**(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** ABDUL SAJID KHAN **Rank (पद):** निरीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,
Date: 0[illegible]/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** MAHAVEER PRASAD
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 10/10/1993 | | | | |
| 2 | Male | 21/01/1982 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (सफेद रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गुदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)